यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया हैं। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, नैनीताल के माह 06/2012 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक एवं श्री एफ आर खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.01.2017 से 19.01.2017 तक में श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षक में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए सी कटियार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अमित टंडन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.06.2012 से 15.06.2012 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10.2010 से 05.2012 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06.2012 से 12.2016 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।
2. **इकाई के कियाकलाप एवं भौगालिक अधिकार क्षेत्रः**– जनपद तथा अन्य क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न प्रकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं इससे संबन्धित सेंवाएँ उपलब्ध करना।
3. (i) विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिकय(–)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012–13	–	47.35	458.08	454.77	70.00	56.07	–	61.28
2013–14	–	61.27	478.58	476.02	110.00	89.92	–	81.36
2014–15	–	81.35	597.19	574.72	207.50	167.99	–	120.87
2015–16	–	120.86	671.76	629.37	207.50	178.60	–	149.77
2016–17(upto Dec)	–	149.76	674.33	554.38	35.00	152.32	–	32.45

(ii) इकाई को बजट आवंटन कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाए)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, नैनीताल को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं फरवरी 2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971(डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनिमय, 2007 तथा लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तरः— 1 बैंक खाते में अर्जित ब्याज की धनराशि ₹ 32.50 लाख राजकोष में नहीं जमा किए जाने के कारण शासकीय राजस्व की हानि।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड के प्रावधानों के अनुसार शासकीय धन से प्राप्त ब्याज की धनराशि को समय समय पर ब्याज मद में ट्रेजरी चालान द्वारा राजकोष में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, नैनीताल के बैंक खातें से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया किय इकाई के संचालित बैंक खातें में लेखापरीक्षा की अवधि में अर्जित ब्याज की धनराशि लंबित/अवरूद्ध पड़ी हुयी है जिसका विवरण निम्नवत हैः

बैंक खाता का विवरण	**अर्जित ब्याज (₹ में)**
SBI Saving A/C No.30937477533 (CPS)	29,42,105/-
SBI Saving A/C No.30454023563(सीड मनी)	72,356/-
SBI Saving A/C No.32494100979(NPSD)	2,35,183/-
SBI Saving A/C No.6090100008029 (NTC)	-
योग	₹ 32,49,644/-

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त ब्याज की धनराशि बैंक खाते में अवरूद्ध रहने को इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ब्याज की धनराशि खाते में अवरूद्ध हैं एवं इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता है। इस संबंध में महानिदेशक कार्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ब्याज की राशि काफी लंबे समय से अर्जित होते हुये खाते में अवरूद्ध चली आ रहीं है एवं इकाई के द्वारा इस संबंध में अभी तक महानिदेशक कार्यालय से दिशा–निर्देश प्राप्त करने हेतु कोई पत्राचार नहीं किया गया था।

अतः बैंक खाते में अर्जित धनराशि **₹** 32.50 लाख को शासकीय राजस्व खाते में जमा नहीं किए जाने के कारण हानि के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तरः'– 03 धनराशि ₹ 41.57 लाख की अनुपयोगी सामाग्रियों की निलामी न किया जाना।

चिकित्सालय के समस्त स्टोर, स्टॉक पंजिका का सम्प्रेक्षा में पाया गया कि ₹ 41.60 लाख की धनराशि से क्रय की गई । विभिन्न विभागों में मशीनें अनुपयोगी पाई गई। विवरण निम्नवत है–

क्रमं सं	स्टॉक पेज सं	मशीन एवं उपकरण का नाम	संख्या	अनुपयोगी होने की अवधि	मूल्य
1.	73	300 MA Wipro X-Ray machine in all accessories	1	28.12.1989	100200.00
2.	74	IGE Dental machine all accessories	1	08.04.1989	17226.00
3.	26	Ultra Sound prob 3.5 MHZ	1	23.03.2005	1568700.00
4.	32	Dental X-Ray machine all accessories	1	06.10.2005	22880.00
5.	40	AUTOMALC Medical X-Ray Film Processor	1	04.04.2006	236600.00
6.	122	Semi Automatic Analyzer	1		206955.00
7.	16	ECG MACHINE 108T	1	09.08.2011	18990.00
8.	151	Fully Automated Random Chemistry Analyzer	1		1937200.00
9.	02	Cerical & Lumbar Traction machine	1	03.06.2015	9880.00
10.	03	Short Wave Diathermy	1	03.06.2015	26700.00
11.	04	Ultra Sonic Therapy	1	18.05.2016	12500.00
				Total	4157831.00

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सामग्री अनुपयोगी होने की तिथि 01 से 26 वर्ष होने के फलस्वरूप सामग्री की नीलामी नहीं की जा सकी है जिससे साम्रगी के मूल्य में निरंतर ह्रास हो रहीं है एवं राजस्व धनराशि की हानि हो रहीं है।

अतः अनुपयोगी साम्रगी की ₹ 4.26 लाख की सामग्री के निस्तारण न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।,

भाग–दो 'ब'

प्रस्तरः–04 औषधियों की गुणवत्ता की जांच किए बिना एवं अधिक पुरानी औषधियों को क्रय किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 23.54 लाख का अनियमित व्यय।

शासनादेश सं. 932/XXVIII-4-2014-28(8)2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के बिन्दु सं. 18 के अनुसार एक समय में क्रय की गई विभिन्न औषधियों में से 20 प्रतिशत औषधियों के रैण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्यातिप्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकें। शासन द्वारा औषधियों के नमूनों की जांच हेतु अनुमोदित जांचकर्ता फर्मो के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरूप जांच कराई जाए। यह प्रक्रिया क्रय की गयी औषधि के 01–02 माह के भीतर सुनिश्चित की जाने का प्रावधान है। उक्त शासनादेश के बिन्दु 31 के अनुसार जिन औषधियों का रैडम सैम्पल लिया गया है। उससे सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म को 90 प्रतिशत औषधि मूल्य का भुगतान औषधि की मात्रा गन्तव्य स्थल तक पहुंचने के 30 दिन के अन्दर कर दिया जाना होगा एवं शेष 10 प्रतिशत गुणवत्ता सम्बन्धी जांच आख्या प्राप्त होन के बाद 30 दिन के अन्दर किया जाने का प्रावधान है। बिन्दु सं. 11 के अनुसार प्रत्येक फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी.डी.पाण्डे चिकित्सालय नैनीताल के केन्द्रीय औषधि भण्डार से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में निम्मलिखित तथ्य प्रकाश में आयेः–

- कार्यालय द्वारा केन्द्रीय औषधि भण्डार के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक) के दौरान ₹ 23.54 लाख (वर्ष 2015–16 में ₹ 6.35 लाख एवं वर्ष 2016–17 में ₹ 17.19 लाख)की औषधियां क्रय की गई।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 से लेकर 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक) में आपूर्तितित 160 किस्म की औषधियों (लागत ₹ 23.54 लाख) के सापेक्ष कार्यालय को 20 प्रतिशत रैण्डम नमूने औषधियों की जांच हेतु भेजे जाने चाहिए थे। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया। मात्र 04 प्रकार की औषधियों की जांच की गयी जो कि बहुत ही अल्प थी। जिसके परिणामस्वरूप न तो औषधियों की वास्तविक गुणवत्ता का पता चल पाया कि वे उपयोग हेतु उपयुक्त हैं बल्कि औषधियों को जन–सामान्य के उपयोग हेतु अवमुक्त कर दिया गया। जो कि न केवल शासनादेश के दिशा–निर्देशों के विपरीत था बल्कि जन–मानस के स्वास्थ्य की भी अनदेखी की गयी।
- केन्द्रीय औषधि भण्डार में आपूर्ति की गई 160 किस्म की औषधियां जिनकी लागत ₹ 23.54 लाख थी, उनके निर्माण की तिथि से काफी पुरानी अवधि की क्रय की गयी। विश्लेषण में पाया कि क्रय की गयी पुरानी औषधियो की अवधि 04 माह से 22 माह तक थी, जिसके परिणामस्वरूप औषधियों को वितरण करने हेतु पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है तथा बिना आवश्यकता के उनका उपयोग किया जाना भी विभाग की मजबूरी हो जाती है।
- कार्यालय द्वारा क्रय की गई समस्त औषधियों का भुगतान औषधियों के प्राप्त होते ही शत–प्रतिशत एक बार में किया गया। जिसके परिणामस्वरूप जहां एक ओर आपूर्तिकर्ता फर्म को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाये जाने की सम्भावना बनी रहती हैं वहीं दूसरी ओर औषधियों की निम्न गुणवत्ता प्राप्त होने पर उसके एवज में वापसी एवं पुनः आपूर्ति की सम्भावना भी खत्म हो जाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी.डी. पाण्डे, राजकीय चिकित्सालय, नैनीताल ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर में बताया कि औषधि क्रय में शासनादेश के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं क्रय की गई औषधियो में से रेण्डम

सैम्पल हेतु नमूना जांच में कम भेजे जाने के सम्बन्ध में इकाइ द्वारा अवगत कराया गया कि औषधि नियंत्रण हेतु देहरादून को पत्र लिखा गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि औषधियों में से 20 प्रतिशत औषधियों के रेण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्यातिप्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाना चाहिए था। अतः चिकित्सालय स्तर पर औषधियों की गुणवत्ता की जांच किये बिना एवं अधिक पुरानी औषधियों को क्रय किये जाने के परिणामस्वरूप **₹** 23.54 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तरः– 05 ₹ 11.45 लाख की धनराशि से क्रय की गयी मशीनों का जनहित में उपयोग न लाया जाना तथा मेमोग्रामी मशीन स्थापना से वर्तमान तक उपयोग न होना ।

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक बी.डी.पाण्डे, जिला चिकित्सालय, नैनीताल की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून के पत्रांक सं. ISP/Equip Pruchase/12/ 2005/1176 दिनाक 29.03.2006 के द्वारा वष 2007 में 1,59,800 डॉलर मूल्य की मेमोग्राफी मशीन प्राप्त कर स्थापित की गयी थी परंतु मशीन स्थापित करने की तिथि से लेखापरीक्षा तिथि (01.2017) तक अर्थात 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी इस मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
आगे जांच में यह भी पाया गया कि इकाई के विभिन्न विभागों में स्थापित कई मशीनें खराब पड़ी थी तथा अनुरक्षण न होने के कारण यह मशीनें उपयोग में लाने योग्य नहीं थी। विवरण निम्नवत है।

Deptt	Name of the machine	Cost	Date from which not working
Physiotherapy	Combo Machine	38272	1.10.2016
ICCU	Oxygen concentrator BPL 3 Units	92250	1.07.2006
	Multiple channel BPL ECG Machine	95000	12.05.2008
	Oxygen concentrator	58000	13.10.2014
	Infusion Pump	40199	12.05.2006
Pathology	5 Part differential Automatic blood cell counter	821600	2/2016
	Total	**11,45,321/-**	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 1,59,800 डॉलर मूल्य क मेमोग्राफी मशीन 10 वर्षो से अधिक समय से एवं अनुरक्षण के अभाव में ₹ 11.45 लाख की धनराशि से क्रय की गयी मशीनें जनहित के उपयोग में नहीं लायी जा रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा मेमोग्राफी मशीन के सम्बन्ध में अपने उत्तर में बताया कि नमी अत्यधिक होने के कारण मशीन का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून को उक्त मशीन को कहीं स्थानांतरण हेतु अनुरोध किया गया। विभागों में खराब पड़ी मशीनों के अनुरक्षण के सम्बन्ध में बताया कि महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून को खराब मशीनों की स्थिति से अवगत करा दिया गया है। निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि मेमोग्राफी मशीन एवं अन्य वर्णित मशीनें वर्षो से पड़ी है जिनका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है।

अतः ₹ 11.45 लाख धनराशि से क्रय की गयी मशीनों एवं मेमोग्राफी मशीन का जनहित में उपयोग न होन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर
AIR-46/2010-11	–	1,2,3,4	–
AIR-57/2012-13	–	1	–

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगें गये अभिलेख एवं सूचंनाए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः– विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालन आख्या
2. सतत् अनियमितताएः– निरंक
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

कम सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ अनिल चन्द्र साह	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	12.1.2012–31.5.2013
2.	डॉ राजेश कुमार वर्मा	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	31.5.2013–3.6.2013
3.	डॉ नरेंद्र सिंह	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	3.6.2013–30.9.2013
4.	डॉ राजेश शाह	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	30.9.2013–2.12.2013
5.	डॉ डी बी बिष्ट	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	2.12.2013–30.11.2015
6.	डॉ तारा आर्या	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	30.11.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेंखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय–महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेंखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा दल संख्या–03
शिविर– नैनीताल